जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 17.04.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहावड़ी प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा समर्थकों के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले में 04 गाडी जब्त:-

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार पर आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत किये जाने एवं मतदाताओं को प्रलोभित करने से नियन्त्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद पुलिस को निरन्तर सूचना संकलित कर कार्वयाही किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं। इस क्रम में दिनांक 16.04.2021 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ग्राम बहावड़ी में प्रधान पद के प्रत्याशी बबली द्वारा खुद के चुने जाने हेतु 8-10 गाडियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए श्री सुकीर्ति माधव पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली पुलिस को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने एवं गाडियों को जब्त किये जाने के आदेश दिये गये। इस क्रम में थाना कोतवाली शामली द्वारा ग्राम बहावड़ी से प्रधान पद की प्रत्याशी बबली द्वारा चुनाव प्रचार हेतु प्रयुक्त की गई 04 गाडियों 1. स्कॉर्पियो गाड़ी रंग सफेद नं0 UP-53CQ-2103, 2.बेगनआर रंग सफेद नं0-UP-12AW-4513, 3.स्विफ्ट गाड़ी रंग सफेद नं0-DL2C-AU-3155, 4.स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रंग सफेद नं0- UP12-BT-2589 को कब्जे में लेकर सीज कर जब्त किया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने में शामिल प्रधान पद प्रत्याशी बबली व उसके समर्थकों के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। प्रधान पद प्रत्याशी बबली द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है जिसके द्वारा कोर्ट में बॉण्ड दिया गया था, जिसका उल्लंघन होने के कारण थाना कोतवाली शामली पुलिस बॉण्ड की धनराशि जब्त किये जाने की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को भेजी जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निरन्तर निगरानी कराई जा रही है। यदि किसी के पास ऐसी जानकारी हैं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आता है तो इस संबंध में पुलिस को सूचित करें। जिससे कि उनके विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही उन्होने कहा है कि जो लोग चुनावों के दृष्टिगत पाबन्द कराये गये हैं और कानून का उल्लंघन करते हुए पाये जायेगें उनके विरुद्ध भी पाबन्दी की धनराशि भी जब्त कराई जायेगी।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम इस्लामपुर घसौली विवाद मामले से सम्बन्धित एक और आरोपी गिरफ्तारः-

दिनांक 30.03.2021 को ग्राम इस्लामपुर घसौली थानाक्षेत्र कांधला में दो पक्षों में हुए विवाद एवं मारपीट की घटना में 02 महिलाओं गजना व ललतेश की मृत्यु होने के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 31.03.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों उषा, बबीता, भोला उर्फ सुधीर व सतपाल को तथा दिनांक 03.04.2021 को संदीप, सूरज, विकास, करण तथा दिनांक 04.04.2021 को यशपाल उर्फ गुरुजी, किरणपाल तथा दिनांक 06.04.2021 को मुख्य आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में संलिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कांधला पुलिस को निर्देशित किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार सूचना संकलित कर दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इस क्रम में आज दिनांक 17.04.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर गढीश्याम तिराहा से उक्त घटना में शामिल एक और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. रोमियो पुत्र ऊधा निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मु0अ0सं0 131/21 धारा 147,148,149,302,307,504,34 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
2. है0का0 अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
3. का0 ललित शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला

जनपद शामली की आबकारी टीम द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 19 पेटी अवैध देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का बरामदः-

आज दिनांक 17.04.2021 को आबकारी टीम द्वारा इस्सोपुरटील से 01 शराब तस्कर हार्दिक चौहान पुत्र संदीप चौहान निवासी ग्राम इस्सोपुरटील थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 19 पेटी अवैध शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का (16 पेटी बोतल, 1 पेटी अद्दे, 2 पेटी खुली/बन्द पव्वे) बरामद हुए है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट

जिलाधिकारी शामली एवं पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा जनपद में होने वाले लॉकडाउन के दृष्टिगत व्यापारियों के साथ की बैठक कर की सहयोग अपील:-

आज दिनांक 17.04.2021 को जिलाधिकारी शामली सुश्री जसजीत कौर एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुकीर्ति माधव द्वारा थाना कोतवाली परिसर में रात्रि 8:00 बजे से होने वाले लॉकडाउन के संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने संबोधन में मौजूद सभी व्यापारियों को अवगत कराया कि देश, प्रदेश एवं जनपद में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण के बढते प्रभाव की चैन को तोड़ने एवं निष्प्रभावी करने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में आज रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 19.04.2021 को प्रातः 7:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में सभी अनुशासित रहें। चूंकि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं। अतः आप अपने स्तर से आस-पास के लोगों को जागरूक करें और लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करें। आपको स्वयं अपना, परिवार का मित्रों का, रिश्तेदारों का एवं समाज की सुरक्षा का ध्यान रखना है। सभी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें, ऐसी अपेक्षा सभी से है। संक्रमण के इस दूसरे दौर में परिणाम भयानक देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए अब जुर्माने की राशि प्रथम बार 1000/- रुपये और इसके बाद 10,000/- रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने के वसूली पुलिस का उद्देश्य विल्कुल नही है। अपितु लॉकडाउन का अनुपालन स्वेच्छा से हो ऐसी अपेक्षा आमजन से की जाती है। उन्होने कहा कि कानून का प्रयोग न्यूनतम हो। ऐसा वह चाहते है और यह तभी संभव है जब जनमानस आपके माध्यम से साझेदारी, सहभागिता एवं जिम्मेदारी को समझे। पिछले एक वर्ष में सभी व्यापारियों द्वारा इस महामारी में न केवल पुलिस प्रशासन का सहयोग किया बल्कि तमाम लोगों के विभिन्न रूपों में मदद भी की। ऐसा ही उदाहरण सभी को मिलकर पुनः प्रस्तुत करना है। उन्होने कहा कि आपके प्रतिष्ठान पर बिना मास्क के पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति सामग्री विक्रित न की जाये। बेहतर होगा कि सभी अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क अलग से रखें और बिना मास्क पहुंचने वाले व्यक्ति को पहले मास्क विक्रय कर उसे पहनने को बतायें और तत्पश्चात प्रतिष्ठान के बाहर उचित दूरी हेतु बनाये गये गोल घेरों का उपयोग कराते हुए सामग्री उपलब्ध करायें। इस अवसर पर जिलाधिकारी शामली द्वारा बताया गया कि कम्पलीट लॉकडाउन रहेगा। परन्तु इंडस्ट्री को लॉकडाउन से छूट दी गई है। उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए छूट है। ऐसे श्रमिकों को कोई परेशानी न हो अच्छा होगा कि इंडस्ट्री का मैनेजमेंट अपने श्रमिकों को एक आई कार्ड जारी कर दें। राशन, फल, सब्जी आदि किसी भी प्रकार की कोई दुकान नही खोली जायेगी तथा मेडिकल की सभी दुकानें खोली जायेगी। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं को ले जा रहे मालवाहनों को नही रोका जायेगा। उन्होने बताया कि शादी, विवाह का समय भी चल रहा है। ऐसे कार्यक्रमों को नही रोका जायेगा। परन्तु कोविड गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। कहीं भी भीड़ भाड़ नही होने दी जायेगी। ऐसे कार्यक्रमों को घर पर ही सम्पन्न कराये जाने पर विचार किया जाये। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ/जा रहे लोग अपने साथ शादी का कार्ड लेकर चलें जिससे उनकी पहचान कर उन्हे जाने से नही रोका जाये। अन्त में जिलाधिकारी द्वारा मौजूद व्यापारियों को उनके व्यापार संबंध में सन्देह दूर किये गये। अन्त में आये हुए व्यापारियों से कोरोना की जंग जीतने के लिए सहयोग की अपील की गई।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI